





न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

अपील संख्या <sup>243</sup> /2014 2014/00062

गंगादेवी पत्नि मंगल सिंह आयु 63 वर्ष  
हरदेव पुत्र मंगल सिंह आयु 31 वर्ष जातिगण रावत निवासी ग्रा  
भवानीखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)

अपीलार्थीगण

बनाम

शारदा पुत्री मंगल सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा  
सुखदेव पुत्र मंगल सिंह रावत  
सोहन सिंह पुत्र रूपा जाति रावत निवासी ग्रा भवानीखेडा तहसील  
नसीराबाद जिला अजमेर (राज.)  
श्रीमान उपपंजियन अधिकारी, उपपंजियक कार्यालय, नसीराबाद  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद राज.

रेस्पाडेंट्सगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरुद्ध  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश  
दिनांक 12.09.2012/अंतिम डिक्री दिनांक 12.06.2013  
उनवान शारदा बनाम गंगा देवी व अन्य प्रकरण संख्या  
144/11 के विरुद्ध बाबत

श्रीमानजी ,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थी की ओर निम्न निवेदन है कि:-

1. यह कि अधीनस्त न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 /वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता नम्बर 357/47 के खसरा नम्बर 491 रकबा 0.11 बरानी1, 686 रकबा 0.26 चाही3, 760 रकबा 0.14 चाही 3, 2289 रकबा 0.17 चाही2, 2290 रकबा 0.23 एवं खसरा नम्बर 2291 रकबा 0.19 की भूमि जो कि ग्राम भवानीखेडा में आस्थित है जिसके आधार जमाबंदी के अनुसार सहखातेदार श्री मंगल सिंह, सोहन सिंह पुत्रगण श्री रूपा जाति रावत दर्ज है कि जिनमें श्री मंगल सिंह जो वादिया के पति थे का स्वर्गवास हो चुका है तथा मंगलसिंह के स्वर्गवास के पश्चात विरासत नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 10.



हंदेव